संख्या- 10 /2025/225 /छिहत्तर-1-2025-1532840

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2025

विषयः जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से अधिष्ठापित 200 टी.टी.एस.पी.(टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट) के पुनर्निमाण हेतु धनराशि की स्वीकृति। (अनुदान संख्या-93)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण के पत्रांक-270/011-(टी.टी.एस.पी.) /24 दिनांक 21-11-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में अधिकतर खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में मीठे पानी के स्रोत पर पूर्व से अधिष्ठापित 200 टी.टी.एस.पी.(टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट) के पुनर्निमाण हेतु अनुदान संख्या-93 के अंतर्गत रू 600.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अधिकतर खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में मीठे पानी के स्रोत पर पूर्व से अधिष्ठापित 200 टी.टी.एस.पी.(टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट) के पुनर्निमाण हेतु अनुदान संख्या-93 के अंतर्गत रू 600.00 (रूपये छः करोड मात्र) स्वीकृत किये जाने पर, निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-10/2020/395/छिहत्तर-1-2020-1 योजना/2016, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
3. कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को टी.टी.एस.पी. के कार्यो हेतु उक्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम का होगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का होगा।
8. योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का होगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
13. धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रश्नगत कार्य के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
16. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
17. स्वीकृत कार्य में द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य के प्रारम्भ एवं कार्य की समाप्ति पर वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
18. निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों/मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा तथा कराये गये कार्यो का अलग से लेखा-जोखा रखा जायेगा। अन्य उच्च

विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

19. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, प्रयागराज/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-93 के लेखाशीर्षक 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति -03 राज्य ग्रामीण पेयजल योजना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-158 -दस-2024-25 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 31-01-2025 14:07:17

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्याः 10 /2025/ 225 (1) /छिहत्तर-1-2025-1532840, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराग।
3. जिलाधिकारी-आगरा, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 31-01-2025 14:11:38

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव